वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम– प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरूपयोग निवारण अधिनियम)

बजट/एफ०एम०आर० **शीर्ष**– A.8.1

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.8.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

राज्य में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है । राज्य में प्रति हजार पुरूषों पर मात्र 927 महिलाएँ है । अल्ट्रासाउण्ड के द्वारा गर्भस्थ शिशु की लिंग जाँच कर गर्भपात के भी कई मामले हैं जो विपरीत लिंगानुपात को बढ़ावा देते हैं । अतः स्वास्थ्य प्रदाता को इस विषय पर जागरूक करना हमारी प्राथमिकता है । जिला तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर इस हेतु जागरूकता कार्यशाला (**बेटी बचाओ कार्यशाला**) का आयोजन किया जाना है ।

इकाई राशि (रू० लाख में)–जिलों को आवंटित राशि जो कि संबंधित मद में दिया गया है उसके अन्तर्गत 25000/– रू0 प्रति कार्यशाला की दर से जिलों में कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है । जिसका निर्णय जिला स्तर पर ही लिया जाएगा । यह संभव है कि 25000/– रू0 की दर से आपके जिलो को आवंटित कुल राशि का योग नहीं मिल सकता है । यह इसलिए है कि आप आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की ईकाई मदों को परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र है । और इसके अतिरिक्त टीम बनाकर क्लिनिक का निरीक्षण भी प्रशिक्षित चिकित्सक करेगें । इस गतिबिधि के लिए जिलों को राशि आवंटित की गई है जिसमें कार्यशाला तथा अनुश्रवण एवं सर्वेक्षण का खर्च जोड़कर राशि का आवंटन किया गया है ।

इकाई राशि –

क्लिनिक के निरीक्षण हेतु राशि – इस राशि का उपयोग निगरानी करने वाले पदाधिकारी के वाहन के ईंधन तथा जलपान हेतु व्यय किया जाएगा।

ईंधन– वास्तविक व्यय के आधार पर (Govt. of Bihar)

जलपान (Tea, Snacks) – अधिकतम रू० 50/–

वित्तीय दिशा निर्देशन– **कार्यशाला हेतु**

S. No.	Items	Amount (Unit Cost)
1.	Venue Hiring	5000max./Day
2.	Working Lunch/Tea Snack	11250 @150/per person/per Day for 75 person
3.	Honorarium to Guest Faculty/State for one person	1000/Day =
4.	Photocopy/Stationery etc.(for training material)	7750/-

मूल्यांकन – कार्यशाला का मूल्यांकन, मूल्यांकन–प्रपत्र के आधार पर जवाबदेही जिला कार्यक्रम प्रबंधक की होगी ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम–डा० वर्षा सिंह, सलाहकार–एम०सी०एच०

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर–0612-3244034,9470003013